

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्ताईस'

[30/11/2017]

परिशिष्ट

115

प्रश्न सं. [क.1501]

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ 19-76/2007/1/4

भोपाल दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

प्रति

शासन के समस्त विभाग।
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर।
समस्त विभागाध्यक्ष।
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय: माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाई तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में।

- संदर्भ: (1) संसदीय कार्य विभाग का ज्ञापन क्रमांक 109 एक(2)/31/48/2001/(सं.का) दि. 23.01.2002 एवं क्रमांक 259/एक/(8)/13/48/2002(सं.का.) दि 26.2.2004
(2) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-153/2004/1/4 दिनांक 10.08.2004।
(3) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 18.05.2007।
(4) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 17.08.2009।
(5) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-136/2007/1/4 दिनांक 02.12.2009।
(6) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 28.04.2010।
(7) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 22.03.2011।
(8) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 06.08.2012।
(9) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 05/02/2014।
(10) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 27/11/2015।
(11) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 17/08/2016।
(12) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 27/02/2017।
(13) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 05/08/2017।

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा समय-समय पर माननीय संसद सदस्यों तथा मान. विधायकों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने तथा उनसे प्राप्त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

2/ राज्य शासन को उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन न करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में इस विभाग को सूचित किया है कि शासन के जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा मा. सदस्यों की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है जिससे माननीय सदस्यों को अपने विधायिकी कर्तव्यों के निर्वहन में असुविधाएं होती है।

196

//2//

3/ आपसे पुनः अनुरोध है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाकर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इस निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(Signature)

(प्रभांशु कमल)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

W
16.10.17

कमांक : एफ 19-76 / 2007 / 1 / 4

भोपाल दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि

1. मध्यप्रदेश के समस्त माननीय संसद सदस्य।
2. मध्यप्रदेश विधानसभा के समस्त माननीय सदस्य।
3. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल।
4. अध्यक्ष म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल।
5. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।
6. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, संसदीय कार्य विभाग।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
11. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
17. निज सचिव/निज सहायक, मान. मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

W
16.10.17